आपातकाल की 31वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) श्री लालकृष्ण आडवाणी का सम्बोधन

नई दिल्ली–25 जून 2006

देवियों एवं सज्जनों,

आज हम यहां अपने राष्ट्र के जीवन में घटी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का स्मरण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। समय गुजरने के साथ–साथ पिछले वर्षों की अनेक घटनाओं का महत्व कम होता जाता है। यह स्वाभाविक भी है। जब इस प्रकार की घटनाओं का स्मरण किया भी जाता है तो इसे आवश्यक रस्को–रिवाज की तरह औपचारिकता निभाने की खातिर होता है।

परन्तु जिन लोगों को लोकतंत्र से प्यार है, वे तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा 31 वर्ष पूर्व लगाए गए आपातकाल को मात्र एक रस्मो–रिवाज की तरह याद नहीं करते हैं। हर वर्ष 25 जून को हम संकल्प लेते हैं कि हम भविष्य में कभी भी अपने राष्ट्रीय जीवन के उस अंधकारमय युग की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे और हम अब कभी भी किसी तानाशाह शासक को भारत के लोकतंत्र की पावन ज्वाला को बुझाने की इजाजत नहीं देंगें।

इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर स्मृतियों को ताजा करने के पीछे हमारा प्रयास रहता है कि हम लोगों को–विशेष रूप से युवा पीढ़ी को बता सकें और फिर से उन्हें जता सकें कि आपातकाल के समय क्या कुछ घटा, किसने इस आपातकाल को लगाया, क्यों और किसलिए ऐसा सब कुछ हुआ। हमारा यह भी प्रयास रहता है कि हम लोगों को यह भी बता सकें कि किन लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, क्यों और कैसे किया।

मुझे गर्व है कि हम भाजपा के सदस्यों जो उस समय भारतीय जनसंघ में थे तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिल जुलकर आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही मैं गर्व और प्रशंसा के भाव से उन लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक दलों एवं संस्थाओं के योगदान का भी स्मरण करना चाहूंगा जिन्होंने श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संघर्ष किया।

यहां पर मैं न्यायपालिका और एवं अन्य विधिक संगठनों का भी विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान पर होने वाले हर आघात को रोकने का भरसक प्रयास किया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की।

मैं उन साहसी पत्रकारों, सम्पादकों और समाचारपत्रों के मालिकों का भी अभिवादन करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के इस जनान्दोलन को अपना गहन समर्थन देकर अपनी जान जोखिम में डाली।

मित्रों,

हमें मालूम होना चाहिए कि आपातकाल लगाने का काम कोई दुर्घटनावश नहीं हुआ था, यह किसी बेलगाम नेता की सनक का निर्णय भी नहीं था। आपातकाल लगाने के दो महत्वपूर्ण कारक रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाते है।

- कांग्रेस पार्टी के लिए गम्भीर राजनैतिक और कानूनी संकट पैदा हो गया था। व्यक्ति पूजा और चापलूसी के वातावरण के कारण कांग्रेसजनों में यह विश्वास पैदा कर दिया था कि नेहरू–गांधी परिवार ही राष्ट्र को नेता दे सकता है और इसलिए, यदि अपने नेता को बचाने के लिए भले ही संविधान का सत्यानाश भी करना पड़े तो किया जा सकता है।

- पार्टी और सरकार में उनकी नेता और उसके सहयोगियों का भ्रष्ट घोटालों में लिप्त होना एक कारक रहा जब विपक्ष, न्यायपालिका और मीडिया ने कुछ अहसज प्रश्न पूछना शुरू कर दिया और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश ने जनान्दोलन का रूप ले लिया तो कांग्रेस नेतृत्व इस नतीजे पर पहुंचा कि लोकतंत्र को समाप्त करके ही वह अपनी रक्षा कर सकती है।

आज तीन दशक गुजर जाने के बाद भी दोनों कारकों पर अपनी बात रखना चाहूंगा कि आज भी इन दोनों कारणों के बारे में कांग्रेस की सोच में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है।

पिछले कई वर्षों में हमने यूपीए सरकार द्वारा संवैधानिक निकायों और संसदीय संस्थाओं की उपेक्षा करने के अनेक उदाहरण देखें हैं। बिहार, झारखण्ड और गोवा में जनादेश को नष्ट करने के लिए राज्यपाल के पदों का बुरी तरह से दुरूपयोग करते हुए हमने देखा है।

हाल में ही हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार के कांग्रेस–नीत सरकार ने अचानक ही संसद के बजट सत्र को बीच में ही अवसान कर दिया ताकि वह अपनी अध्यक्षता को लाभ के पद के मामले में उठे विवाद से अयोग्य घोषित किए जाने से बचा सके। जब कांग्रेस को महसूस होने लगा कि ऐसा करने से तो भारी जोखिम उठाना पड़ सकता है तो उसने तुरन्त ही अपनी रणनीति बदल कर फिर वही 'बलिदानी नाटक' शुरूआत कर दी।

दोनों सदनों के पीठासीन अध्यक्षों से सलाह किए बिना ही संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पता चलता है कि आज भी कांग्रेस एक 'खानदान' को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है।

यदि कांग्रेस पार्टी अपनी अलोकतांत्रिक रणनीति को कार्यान्वित नहीं कर सकी तो इससे यही पता चलता है कि प्रमुख रूप से भाजपा के नेतृत्व में लोकतंत्र–समर्थक ताकतें 1975 के मुकाबले आज 2006 में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इससे यह भी पता चलता है कि 1975 के मुकाबले आज लोकतंत्र–विरोधी ताकतें बहुत कमजोर भी हो गई है।

इसलिए आने वाले वर्षों में हमें लोकतंत्र–समर्थक ताकतों को और अधिक मजबूत करने तथा लोकतांत्रिक–विरोधी ताकतों को कमजोर करने का संकल्प लेना होगा।

भारत के आपाताकल के अनुभव से यह भी पता चलता है कि भ्रष्टाचार और तानाशाही शासन में बहुत निकट का सम्पर्क है।

पूरे विश्व में तानाशाही शासन में लोकतंत्र की अपेक्षा कहीं अधिक भ्रष्टाचार है। लोकतंत्र में भी भ्रष्टाचार रहता है। परन्तु लोकतंत्र शासन में बहुत से नियंत्रण और संतुलन बने रहते हैं, जिनसे भ्रष्टाचार की रोकथाम हो सकती है तथा भ्रष्टचारी को दण्ड मिल सकता है।

इसलिए जिन्हें भ्रष्टाचार की आदत पड़ जाती है और जिन्हें लोकतंत्र में वास्तविक आस्था नहीं रहती है, वे सदैव लोकतंत्र को तहस–नहस करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने आप को बचा सकें। जब मामला जरूरत से आगे बढ़ जाता है तो वे लोकतंत्र को भी जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। 1975 में यही तो हुआ।

आपातकाल की घोषणा से पूर्व जेपी आन्दोलन का प्रमुख लक्ष्य केन्द और राज्यों में कांग्रेस सरकार में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना ही तो था।

उसी समय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में स्वयं प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में भ्रष्ट तरीके से चुनाव की बात सामने आई और उन्हें संसद की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व के सामने खड़ी चुनौती के जवाब में उन्होंने आपातकाल लगा दिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म कर दी; प्रेस को कुचल दिया और जिस किसी ने इसके विरोध में आवाज उठाने की हिम्मत की उसे जेल में डाल दिया।

जैसा मैंने पहले कहा है कि आज विपक्ष 1975 के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली है और आज कांग्रेस 1975 की तुलना में कहीं अधिक कमजोर है। फिर भी,

जब भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात आती है तो कांग्रेस की मानसिकता में उसी अपशकुनी लक्षण दिखाई पड़ते है।

उदाहरण के लिए, यूपीए सरकार के पहले दो वर्षों में तीन प्रमुख भ्रष्ट घोटाले सामने आए है; (क) क्वात्रोच्चि घोटाला (ख) वोल्कर घोटाला (ग) स्कोर्पियन पनडुब्बी घोटाला।

यूपीए सरकार ने सीबीबाई को अपना दास बना लिया और शासन के अन्य संस्थानों को भी तहस–नहस कर दिया ताकि इटालियन भगोड़े को न केवल मौज से घूमने दिया जाए बल्कि बोफोर्स सौदे के घोटाले में उसकी जब्त राशि के 20 करोड़ रूपए भी लौटा दिए गए, जो निर्लज्जता की हद है, जिसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है।

इराक के 'तेल के बदले अनाज' घोटाले में न तो कांग्रेस अध्यक्षा और न ही पार्टी पदाधिकारियों ने इस बारे में चुप्पी तोड़ी है कि किस प्रकार से वोल्कर रिपोर्ट में दलाली का पैसा लेने में कांग्रेस पार्टी का नाम कैसे आ गया। देश के विदेशमंत्री जैसे व्यक्ति का नाम इस रिपोर्ट में आया है, जिसने खुल्लम खुल्ला कहा है कि मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। श्री नटवर सिंह ने यह बात विशेष रूप से कही है कि इस घोटाले में कांग्रेस पार्टी के किसी अन्य व्यक्ति से पूछताछ क्यों नहीं हुई ?

तीसरे घोटाले–स्कार्पियन पनडुब्बी घोटाले तथा हमसे सम्बन्धित नौसेना मुख्यालय में वार–रूम लीक' घोटाला भी जोर–शोर से सामने आ रहा है। अभी शुक्रवार को ही, सीबीआई ने नई दिल्ली और तीन अन्य नगरों में 19 छापे डाले हैं। रक्षा मंत्रालय में अनेक सेवारत और सेवा–निवृत्त नौसेना तथा थल सेना के अफसरों तथा ब्यूरोक्रेट के नाम लिए जा रहे हैं। यह कोई शुभ संकेत नहीं है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबाईआई ने एक विख्यात व्यापारी के कई कार्यालयों और फार्महाउस पर भी छापा डाला है, जिससे पता चलता है कि 'वार रूप लीक' मामले और स्कार्पियन पनडुब्बी सौदे में भी वह इन घोटालों का 'मास्टरमाइण्ड' था।

मैं सीबीआई की कार्रवाई का स्वागत करता हूं। हालांकि विलम्ब हो गया है, फिर भी इस मामले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जो दृष्टिकोण अपनाया था, वह सही साबित हुआ है।

हमने आरोप लगाया था कि सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। जिस प्रकार हर हफ्ते बुरी–बुरी खबरें मिल रही है, उनसे हमारी बात सच साबित होती जा रही है।

अभी तक सरकार एक तरफ इसी बात पर कायम है कि नौसेना मुख्यालय से गुप्त बातों की लीकेज कोई गम्भीर बात नहीं है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री तथा सरकार में

अन्य लोग तथा कांग्रेस पार्टी निरन्तर वही रट लगा रही है कि 'वार रूम लीक' मामले का स्कार्पियन सौदे से कुछ लेना देना नहीं है। अब सीबीआई ने स्वयं पुष्टि की है कि 'वार रूम लीक' एक और भी बड़ी साजिश का हिस्सा है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं से जुडा है।

सीबीआई के छापों को देखते हुए मैं सरकार से निम्नलिखित प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर देने की मांग करता हूं :

- यह कौन सी 'वृहत्तर साजिश है जिसे 'वार रूम लीक' का हिस्सा कहा जाता है ? लोगों को यह जानने का हक है कि इस घोटाले ने किस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है।

- विशेष रूप से, क्या सरकार अब यह स्वीकार करने को तैयार है कि 'वार रूम लीक' का 18000 करोड़ रूपए के स्कार्पियन पनडुब्बी समझौते से सम्बन्ध है ?

- नौ सेना ने मार्च में दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने एक शपथ–पत्र में कहा है कि कुछ विदेशी भी 'वार रूम लीक' में शामिल है। यह विदेशी कौन है ? अभी तक सरकार ने उनकी पहचान क्यों नहीं की है ? अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है तो वह क्या कार्रवाई की गई है ?

- नौ सेना मुख्यालय में 'वार रूम लीक' जैसे गम्भीर मामले में भी सरकार ने अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने में नितांत अनुचित विलम्ब क्यों किया ? क्या यह विलम्ब पर्दा डालने का हिस्सा नहीं है ? क्यों इस विलम्ब से अभियुक्तों को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने में मदद नहीं मिली है ?

- आखिरी बात, इन दोनों घोटालों में शामिल लोगों को राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा है ?

मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ें।

आज हम स्वतंत्र भारत के जीवन के उस बुरे सपने सरीखे समय को याद कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं अपने लोकतांत्रिक जीवन को कायम रखने और इसे समृद्ध बनाने के मिशन के प्रति स्वयं को समर्पित करें। इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना है और साथ ही राजनैतिक वर्ग की मानसिकता के विरुद्ध जंग छेडना है जो अपने आप को कानून से भी ऊंचा समझते हैं।

धन्यवाद।